

SEBI द्वारा IPO कंपनियों के लिये प्रमोटर की परिभाषा का विस्तार

[स्रोत: बज्जिनेस लाइन](#)

भारतीय प्रतभित्तिएवं वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने **इनशियलि पबलिक ऑफर** (Initial public offering- IPO) के लिये बाज़ार में उतरने वाली कंपनियों हेतु **प्रमोटरों की परिभाषा** का विस्तार किया है।

- नए दशिया-नरिदेशों के तहत, संयुक्त 10% हसिसेदारी वाले संस्थापक जो **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मकि** (Key Managerial Personnel- KMP) या नदिशक भी हैं, सभी को प्रमोटर माना जाएगा।
 - कंपनी बोर्ड में या KMP के रूप में **प्रमोटर के तत्काल संबंधी** या कंपनी में **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप** से 10% से अधिक हसिसेदारी रखने वाले को भी प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
 - हालाँकि एक बार जब कोई व्यक्ति प्रमोटर समूह का हसिसा बन जाता है, तोलसिटगि **ऑब्लीगेशंस एंड डसिक्लोज़र रक्विायरमेंट्स (LODR)** वनियमन के **नयिम 31A** के कारण उसे **सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में अवर्गीकृत करना आसान नहीं होता है**।
 - वर्गीकरण-वमिकृता का अर्थ है किसी प्रमोटर या वशिषिट वर्गीकरण की स्थति या लेबल को आधिकारिक रूप से हटाना।
- वर्तमान **SEBI नयिमों के अनुसार**, प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो **कंपनी के मामलों को नयितरति करता** है या अधकिंश नदिशकों की नयिकृता कर सकता है या प्रस्ताव दस्तावेज़ में उसका नाम इस रूप में दर्ज होता है।
- **IPO एक इनशियलि पबलिक ऑफर** है, जसिमें किसी **नजि कंपनी** के शेयर पहली बार जनता के लिये उपलब्ध कराए जाते हैं।
 - IPO किसी कंपनी को **सार्वजनिक नदिशकों से इक्वटी पूंजी जुटाने** की अनुमति देता है।

और पढ़ें: [प्रमोटरों को 'प्रसन इन कंट्रोल' में बदलने का प्रस्ताव: SEBI, सेबी](#)